

प्रेषक,

आनन्द बर्द्धन
प्रमुख सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

प्रमुख अभियन्ता
सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड,
देहरादून।

सिंचाई अनुभाग-2

देहरादून : दिनांक 27 जनवरी, 2018

विषय:- वित्तीय वर्ष 2017-18 में एस0सी0एस0पी0 बाढ़ सुरक्षा (राज्य सैक्टर) के अन्तर्गत योजनाओं की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति विषयक।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या 3267/प्र0अ0/सिं0वि0/नि0अनु0/पी-27 (एस0सी0एस0पी0) दिनांक 10 अक्टूबर, 2017 पत्र संख्या 3041/प्र0अ0/सिं0वि0/नि0अनु0/पी-27 (SCSP) दिनांक 13 अक्टूबर, 2016 एवं पत्र संख्या 653/मु0अ0वि0/नि0अनु0/पी-27 (राज्य सैक्टर) दिनांक 03 मार्च, 2015 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि एस0सी0एस0पी0 बाढ़ सुरक्षा (राज्य सैक्टर) के अन्तर्गत स्वीकृति हेतु उपलब्ध करायी गयी योजनाओं की विभागीय टीएसी द्वारा संस्तुत कुल लागत रू0 48.29 लाख (रू0 अडतालिस लाख उन्तीस हजार मात्र) की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए पूर्ण धनराशि संलग्न विवरणानुसार चालू वित्तीय वर्ष 2017-18 में निम्न प्रतिबन्धों के अधीन व्यय हेतु आपके निवर्तन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :-


- (i) सम्बन्धित धनराशि का व्यय प्रश्नगत योजना के अन्तर्गत किया जायेगा, धनराशि के अन्यत्र विचलन की दशा में सम्बन्धित अधिकारी व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी होंगे। जहां कहीं आवश्यक हो यथावश्यकता सक्षम अधिकारी/शासन की स्वीकृति व्यय से पूर्व प्राप्त कर ली जाय।
- (ii) धनराशि का आहरण व व्यय वास्तविक आवश्यकता के अनुसार चालू कार्यों में ही किस्तों में किया जायेगा।
- (iii) धनराशि व्यय करने से पूर्व सक्षम अधिकारी की तकनीकी स्वीकृत एवं कार्यों के प्राक्कलन सक्षम अधिकारी से अवश्य स्वीकृत करा लिये जाय।
- (iv) उक्त व्यय में बजट मैनुअल, वित्तीय हस्तपुस्तिका, अधिप्राप्ति नियमावली, 2008 तथा शासन द्वारा मितव्यता के विषय में समय-समय पर जारी किये गये आदेशों एवं निर्देशों का पूर्ण रूप से पालन किया जाय।
- (v) जहाँ आवश्यक हो कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व भूगर्भ वैज्ञानिक से उपयुक्तता के सम्बन्ध में आख्या प्राप्त कर ली जाय तथा कार्यों के सम्बन्ध में यथोचित भूकम्प निरोधी तकनीकी का प्रयोग किया जाय।
- (vi) स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष व्यय एवं उपयोगिता के सम्बन्ध में आवश्यक प्रमाण-पत्र निर्धारित प्रारूप पर प्रत्येक माह के अन्त में नियमानुसार निर्धारित तिथि तक महालेखाकार उत्तराखण्ड राज्य सरकार एवं वित्त विभाग को उपलब्ध कराया जाय।
उक्तानुसार आवंटित धनराशि को तत्काल कार्यदायी संस्था/आहरण वितरण अधिकारी को अवमुक्त कर दी जाय, जिससे क्षेत्रीय स्तर पर बजट उपलब्ध न होने की स्थिति उत्पन्न न हो।

....2...

- (ix) कार्य की समयबद्धता एवं गुणवत्ता हेतु सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता पूर्ण रूप से उत्तरदायी होंगे।
- (xii) वित्त विभाग के शासनादेश संख्या 610/3(150)XXVII(1)/2017, दिनांक 30 जून, 2017 द्वारा निर्गत दिशा-निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय और वांछित सूचनायें निर्धारित प्रपत्रों पर यथासमय शासन को उपलब्ध करा दी जाय। स्वीकृत की जा रही धनराशि का दिनांक 31 मार्च, 2018 तक पूर्ण उपभोग कर लिया जायेगा।


2 इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष वित्तीय वर्ष 2017-18 में अनुदान संख्या-30 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक 4711-बाढ़ नियंत्रण परियोजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय-01-बाढ़ नियंत्रण-103-सिविल निर्माण कार्य-02- अनुसूचित जातियों के लिये स्पेशल कम्पोनेंट प्लान-01-अनापेक्षित आपातकालीन कार्य नदी में सुधार तथा कटाव-24 वृहद निर्माण कार्य मद के नामे डाला जायेगा।


यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या 607/XXVII(2)/2018, दिनांक 22 जनवरी, 2018 में प्राप्त उनकी सहमति से निर्गत किये जा रहे हैं।


भवदीय,
(आनन्द बर्द्धन)
प्रमुख सचिव।

2275
संख्या- (1) / / 11-2017-03(04) / 2017 तददिनांकित

- प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-
1. महालेखाकार (ऑडिट) उत्तराखण्ड, वैभव पैलेस सी-1/105, इन्दिरानगर, देहरादून।
 2. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) उत्तराखण्ड ओबराय मोटर्स बिल्डिंग, माजरा, देहरादून।
 3. निदेशक, राजकोषीय नियोजन तथा संसाधन निदेशालय, सचिवालय।
 4. निदेशक, राष्ट्रीय सूचना केन्द्र, सचिवालय परिसर, देहरादून।
 5. वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी देहरादून।
 6. वित्त अनुभाग-2, उत्तराखण्ड शासन।
 7. नियोजन विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
 8. बजट निदेशालय, उत्तराखण्ड शासन।
 9. निदेशक, कोषागार एवं वित्त सेवायें, उत्तराखण्ड, 23 लक्ष्मी रोड, देहरादून।
 10. वित्त नियंत्रक, सिंचाई विभाग, देहरादून।
 11. सम्बन्धित सिंचाई खण्ड द्वारा प्रमुख अभियन्ता, सिंचाई, उत्तराखण्ड।
 12. गार्ड फाईल।


22-1-18

आज्ञा से,

(आनंद सिंह)
संयुक्त सचिव
0/c

(धनराशि रू0 लाख में)

क्र० सं०	योजना	विभागीय टीएसी द्वारा संस्तुत धनराशि	वित्तीय वर्ष 2017-18 में अवमुक्त हेतु प्रस्तावित
	2	3	4
1	जनपद पौड़ी के पाबौ विकास क्षेत्र में गोडन्डी कोटल मंड बांयी कोला (अनु०जा०ग्राम) भू-कटावरोधी योजना	9.99	9.99
2	जनपद उत्तरकाशी के विकास खण्ड मोरी अनुसूचित बस्ती किया में आवासीय सुरक्षात्मक कार्य की योजना।	9.60	9.60
3	जनपद पौड़ी गढ़वाल के विकास खण्ड यमकेश्वर के अन्तर्गत विध्ययाणी ग्राम में सिरसा गधेरे से गांव की सुरक्षा हेतु बाढ़ सुरक्षा कार्य की योजना।	9.56	9.56
4	जनपद पौड़ी गढ़वाल के विकास खण्ड यमकेश्वर के अन्तर्गत सुनार ग्राम में रोडगेड गधेरे एवं कृषि भूमि की सुरक्षा हेतु बाढ़ सुरक्षा कार्य की योजना।	9.57	9.57
5	जनपद पौड़ी गढ़वाल के विकास खण्ड यमकेश्वर के अन्तर्गत दुण्डा-2 ग्राम में ग्वाड गधेरे से कृषि भूमि की सुरक्षा हेतु बाढ़ सुरक्षा कार्य की योजना।	9.57	9.57
	योग	48.29	48.29

(रू0 अडतालिस लाख उन्तीस हजार मात्र)

(ओमकार सिंह)
संयुक्त सचिव

Handwritten signature/initials at the top left.

बजट आवंटन वित्तीय वर्ष - 20172018

Secretary, Irrigation (S025)

आवंटन पत्र संख्या - 2275/II-2017-03(04)/2017

अल्लोटमेंट आई डी - S1801300436

अनुदान संख्या - 030

आवंटन पत्र दिनांक -29-Jan-2018

HOD Name - Chief Engineer Irrigation (4801)

- 1: लेखा शीर्षक 4711 - बाढ़ नियंत्रण परियोजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय 01 - बाढ़ नियंत्रण
103 - सिविल निर्माण कार्य
02 - अनुसूचित जातियों के लिए स्पेशल कम्पोनेन्ट प्लान
01 - अनापेक्षित आपातकालीन कार्य नदी में सुधार तथा कटाव

Voted

मानक मद का नाम	पूर्व में जारी	वर्तमान में जारी	योग
24 - वृहन निर्माण कार्य	4770000	4829000	9599000
	4770000	4829000	9599000

Total Current Allotment To Head Of The Department In Above Schemes -

4829000

Handwritten signature/initials.

अनुनाम अधिकारी
सिंचाई अनुभाग-2
उस्तादपट्ट शासक।